संख्या :- 221/59-2-2013-16(खा)/2009

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उ0प्र0, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 26 अप्रैल, 2013

**विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 में उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय योजना में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खादी बोर्ड के पत्रांक 03/खा0ग्रा0बो0/गु0नि0प्र0/2013-14, दिनांक 02 अप्रैल, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय हेतु संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि रु0 17,50,000.00 (रुपये सत्तरह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निवर्तन पर रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Dy CAO
Antic

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-08 (वित्त व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जायेगा।

281

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद या उनके द्वारा मनोनीत अन्य किसी अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एवं आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

5. प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-05 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनेत्तर-105-खादी ग्रामोद्योग-25-उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय-42-अन्य व्यय" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

पृष्ठ----2/

6. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–640/दस–2013–231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में की गयी व्यवस्थानुसार निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव

संख्या : 220 (1)/59–2–2013–16(खा)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/नियोजन अनुभाग–4/औद्योगिक विकास अनुभाग–3
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, उ0प्र0, 126, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।
9. एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव

शासनादेश संख्या— 220 /59-2-2013-16(खा)/2009, दिनांक -26 अप्रैल, 2013 का संलग्नक

उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय योजना की बजट फॉट :-

| क्र0सं0 | मद विवरण | अनुमानित व्यय धनराशि (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | मानकीकरण/गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण | 4.00 |
| 2. | पाँच दिवसीय गुणवत्ता नियंत्रण में टेक्निकल ट्रेनिंग | 4.50 |
| 3. | प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण कार्यशाला/उत्पाद विकास मानकीकरण शिविर | 9.00 |
| | योग | 17.50 |

(सत्तरह लाख पचास हजार मात्र)

(हरिराज किशोर)

प्रमुख सचिव